कार्य एवं दायित्व

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

यह सुनिश्चित करना कि अंचल में संघ की गतिविधियां, उद्देश्यों एवं रणनीति के अनुरूप, सुचारू, कार्यक्षम व प्रभावी हैं।

दायित्व

वार्षिक दायित्व :-

1. कम से कम 2 बार आंचलिक प्रवास करना।
2. क्षेत्रीय सम्मेलन, आंचलिक बैठकों का आयोजन करना एवं अपने अंचल की प्रगति की समीक्षा करना।
3. अंचल में स्थापित स्थाई संपति का निरीक्षण करना।
4. कार्यसमिति बैठक, आमसभा, विशेष आमसभा, राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित रहकर अपने अंचल के निष्पादन पर प्रस्तुति करना।
5. DSP के माध्यम से आंचलिक टीम का गठन करना जिससे व्यक्ति की रूचि के अनुसार उसे कार्य का प्रभार मिल सके।

अर्द्धवार्षिक दायित्व :-

अपने अंचल में राष्ट्रीय मंत्री, कार्यसमिति सदस्यों, स्थानीय संघ के अध्यक्ष/ मंत्री के साथ प्रवास; व्यक्तिगत संपर्क व सभाओं द्वारा संघ की प्रभावना।

त्रैमासिक दायित्व :-

1. अपने अंचल के निष्पादन की त्रैमासिक समीक्षा करना।
2. संघ की विभिन्न योजनाओं व प्रकल्पों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन।

मासिक दायित्व :-

केन्द्रीय संघ से प्राप्त मासिक रिपोर्ट का विश्लेषण कर अपने सुझाव देना; अंचल की गतिविधियों में सुधार करना।

केन्द्रीय कार्यालय से/सहाय तंत्र (Support System)

1. अंचल के डेटाबेस उपलब्ध
2. समय-समय पर प्रत्येक प्रवृत्ति की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. केंद्रीय कार्यालय से अन्य सहयोग

नोट : विधान के अनुच्छेद 10 (IX) (ग) में निम्न प्रावधनित है-

''यदि कार्यसमिति सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना अपरिहार्य/महत्त्वपूर्ण कारण दर्शाए अनुपस्थित रहता है तो उसे कार्यसमिति से पदमुक्त समझा जाएगा।''

विशेष :-

1. ऐसे प्रतिभाशाली निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो आगामी वर्षों में दायित्व-निर्वहन सक्षम रूप से कर सकें; उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करें।
2. इन चयनित कार्यकर्ताओं को, जो भविष्य में उच्च पदों को ग्रहण करने का सामर्थ्य (Potential) रखते हों, गुणात्मक विकास का अवसर प्रदान करें।
3. उनके गुणों व कौशल्य की जानकारी केंद्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

कार्य एवं दायित्व

राष्ट्रीय मंत्री

अंचल के प्रबंधन एवं विकास में राष्ट्रीय मंत्री की अहम भूमिका है क्योंकि अंचल में संघ प्रभावना तथा सुशासन राष्ट्रीय मंत्री की सक्रियता, सजगता व सहयोग पर निर्भर है। अंचल के प्रभावी व कुशल कार्यचालन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सक्रिय सहयोग प्रदान करना तथा स्वयं पहल करते हुए कार्य की गतिशीलता बर्करार रखना राष्ट्रीय मंत्री का प्रमुख रोल है। अंचल में सभी स्तरों पर संपर्क / संचार की प्रणाली व प्रवाह अवरूद्ध न हो, यह राष्टीय मंत्री की ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रीय मंत्री - दायित्व

1. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व निवर्हन में सक्रियता से निरंतर सहयोग करना।
2. केन्द्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रवास करना, स्थानीय स्तर पर समस्याओं / कठिनाइयों का निवारण करना।
3. वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, क्षेत्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय बैठक, आंचलिक बैठकों का योजनाबद्ध एवं प्रभावी रूप से आयोजन करना।
4. यह सूनिश्चित करना कि अपने अंचल में सभी पदाधिकारी संघ के कार्यों में सक्रिय योगदान दें; लक्ष्य आधारित कार्य सौंपना।
5. अपने अंचल की त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा करना एवं कार्यसमिति में प्रस्तुत करना।
6. विभिन्न प्रवृति संयोजकों से समन्वयन तथा संपर्क रखना।
7. केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त मासिक रिपोर्ट की समीक्षा करना; अपने सुझाव देना।
8. त्रैमासिक / अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय संघ को प्रस्तुत करना।
9. संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से चर्चा करना; अपने क्षेत्र के कार्यसमिति सदस्य को लक्ष्य-आधारित कार्य आबंटित करना और उसके निष्पादन का योजनाओं के विषय में त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करना।

केन्द्रीय कार्यालय से/सहाय तंत्र (Support System)

1. अंचल के डेटाबेस उपलब्ध
2. समय-समय पर प्रत्येक प्रवृत्ति की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. कें्द्रीय कार्यालय से अन्य सहयोग

नोट : विधान के अनुच्छेद 10 (IX) (ग) में निम्न प्रावधनित है-

''यदि कार्यसमिति सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना अपरिहार्य/महत्त्वपूर्ण कारण दर्शाए अनुपस्थित रहता है तो उसे कार्यसमिति से पदमुक्त समझा जाएगा।''

विशेष :-

1. ऐसे प्रतिभाशाली निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो आगामी वर्षों में दायित्व-निर्वहन सक्षम रूप से कर सकें; उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करें।
2. इन चयनित कार्यकर्ताओं को, जो भविष्य में उच्च पदों को ग्रहण करने का सामर्थ्य (Potential) रखते हों, गुणात्मक विकास का अवसर प्रदान करें।
3. उनके गुणों व कौशल्य की जानकारी कें्द्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

कार्य एवं दायित्व

प्रवृत्ति संयोजक भूमिका

प्रवृत्ति संयोजक का रोल है प्रवृत्ति का कार्यान्वयन व संचालन; इस हेतु सह संयोजक को दिशा-निर्देश देना, प्रवृत्ति के अंतर्गत गतिविधियों को प्रवाहमान रखना, निर्धारित लक्ष्य समक्ष रखते हुए निष्पादन का मूल्यांकन करना व प्रवृत्ति को सफल बनाना।

प्रवृत्ति संयोजक - दायित्व

वार्षिक दायित्व

1. नियमित रूप से आमसभा, विशेष आमसभा, समीक्षा बैठक, अधिवेशन में उपस्थित रहना एवं संघीय विकास परिचर्चा में सक्रियता से भाग लेना।
2. प्रवृत्ति के आय-व्यय हेतु अर्थ सहयोग की व्यवस्था करना।
3. समीक्षा बैठक / प्रवृत्ति संयोजक बैठक आदि में प्रवृत्ति के वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करना और अपने विचार व्यक्त करना।
4. वर्ष में कम से कम एक बार केन्द्रीय संघ के पदाधिकारियों के साथ प्रवास करना - जिससे स्थानीय स्तर पर प्रवृत्ति के संचालन का आंकलन किया जा सके।
5. क्षेत्रीय सम्मेलनों, संयुक्त सभाओं में प्रवृत्ति पर विश्लेषणात्मक प्रस्तुति देना।

अर्द्धवार्षिक दायित्व

1. प्रवृत्ति संचालन के प्रगति की समीक्षा करना।

त्रैमासिक दायित्व

1. केन्द्रीय संघ से प्राप्त त्रैमासिक रिपोर्ट का अवलोकन एवं विश्लेषण; उपाध्यक्ष / मंत्री के साथ समन्वयन करके प्रवृत्ति को गतिशील बनाना।

मासिक दायित्व

1. कार्यसमिति सदस्यों से लगातार सम्पर्क में रहकर अपनी प्रवृत्ति की प्रगति की समीक्षा करना।
2. प्रवृत्ति में लगातार संख्यात्मक / गुणात्मक सुधार व विकास कैसे हो इसके लिए प्रयासरत रहना।
3. समय-समय पर प्रवृत्तियों का मूल्यांकन स्थानीय स्तर पर करना। यदि आवश्यक हो तो समस्याओं के निवारणार्थ अंत:क्षेप करना।

केन्द्रीय कार्यालय से/सहाय तंत्र (Support System)

1. अंचल के डेटाबेस उपलब्ध
2. समय-समय पर प्रत्येक प्रवृत्ति की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. केंद्रीय कार्यालय से अन्य सहयोग

नोट : विधान के अनुच्छेद 10 (IX) (ग) में निम्न प्रावधनित है-

''यदि कार्यसमिति सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना अपरिहार्य/महत्त्वपूर्ण कारण दर्शाए अनुपस्थित रहता है तो उसे कार्यसमिति से पदमुक्त समझा जाएगा।''

विशेष :-

1. ऐसे प्रतिभाशाली निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो आगामी वर्षों में दायित्व-निर्वहन सक्षम रूप से कर सकें; उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करें।
2. इन चयनित कार्यकर्ताओं को, जो भविष्य में उच्च पदों को ग्रहण करने का सामर्थ्य (Potential) रखते हों, गुणात्मक विकास का अवसर प्रदान करें।
3. उनके गुणों व कौशल्य की जानकारी केंद्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

कार्य एवं दायित्व

कार्यसमिति सदस्य भूमिका

कार्यसमिति संघ की एक शीर्ष निकाय है जिसका अहम रोल है संघ के Vision / Mission / उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यनीति तैयार करना। प्रत्येक कार्यसमिति सदस्य का यह दायित्व है कि कार्यसमिति के सुदृढ़ीकरण में अपना रचनात्मक योगदान दें।

वार्षिक दायित्व

नियमित रूप से आमसभा, विशेष आमसभा, समीक्षा बैठक, अधिवेशन में उपस्थित रहना एवं संघीय विकास हेतु परिचर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना।

अर्द्धवार्षिक दायित्व

क्षेत्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय बैठक में उपस्थित रहना और आंचलिक स्तर पर कार्य निष्पादन की समीक्षा करना।

त्रैमासिक दायित्व

1. नियमित रूप से कार्यसमिति बैठक में उपस्थित रहना एवं संघीय विकास हेतु परिचर्चा में सक्रिय रूप से प्रतिभागी होना।
2. नवीन योजनाओं हेतु सुझाव देना; परिचर्चा में भाग लेना।
3. अपने अंचल की आंतरिक समस्याओं का निवारण करना, एवं यदि आवश्यक हो तो त्रैमासिक कार्यसमिति बैठक के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना।

मासिक दायित्व

1. अर्थ सहयोग के प्रयासों में सक्रिय प्रतिभागिता।
2. संघ के किसी एक आयाम अथवा एक योजना जिसकी स्वीकृती आप द्वारा दी गई हो उसमें दक्षता लाने हेतु केन्द्रीय संघ को रणनीतिक सुझाव देना एवं अपने अंचल के स्थानीय संघ से सम्पर्क में रहना।
3. यह सुनिश्चित करना कि संघ के कार्य विधानसम्मत रीति से एवं दिशा-निर्देशानुसार लागू हो रहे है एवं कार्यों के संचालन की देखरेख करना।
4. संघ की प्रवृत्तियों में संख्यात्मक व गुणात्मक प्रगति हेतु राष्ट्रीय महामंत्री को सुझाव देना।

केन्द्रीय कार्यालय से/सहाय तंत्र (Support System)

1. अंचल के डेटाबेस उपलब्ध
2. समय-समय पर प्रत्येक प्रवृत्ति की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. केंद्रीय कार्यालय से अन्य सहयोग

नोट : विधान के अनुच्छेद 10 (IX) (ग) में निम्न प्रावधनित है-

''यदि कार्यसमिति सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना अपरिहार्य/महत्त्वपूर्ण कारण दर्शाए अनुपस्थित रहता है तो उसे कार्यसमिति से पदमुक्त समझा जाएगा।''

विशेष :-

1. ऐसे प्रतिभाशाली निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो आगामी वर्षों में दायित्व-निर्वहन सक्षम रूप से कर सकें; उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करें।
2. इन चयनित कार्यकर्ताओं को, जो भविष्य में उच्च पदों को ग्रहण करने का सामर्थ्य (Potential) रखते हों, गुणात्मक विकास का अवसर प्रदान करें।

कार्य एवं दायित्व

स्थानीय अध्यक्ष/ मंत्री भूमिका

स्थानीय स्तर पर आप संघ के प्रमुख अधिकारी हैं व संघ की प्रभावना, प्रबंधन, कार्यचालन आपकी अहम भूमिका है। श्रीसंघ की शक्ति स्थानीय इकाइयों की पुंजित शक्ति ही है।

वार्षिक दायित्व :-

1. ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन शिविरों का स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक आयोजन करने का भाव रखें एवं ज्ञान की प्रभावना हो इस हेतु कार्यसमिति सदस्य, प्रवृत्ति संयोजक के तथा केंद्रीय संघ के भी, संपर्क में रहें।
2. राष्ट्रीय पर्वों पर (आचार्य श्री नानेश जन्म जयंति, गुरू समर्पणा महोत्सव, भगवान महावीर जन्म जयंति एवं आचार्य श्री रामेश जन्मोत्सव), एवं अन्य पर्वों पर भी, तपस्या एकासना आदि की अच्छी प्रभावना हो ऐसा लक्ष्य रखें; इसकी सूची बनाकर केन्द्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
3. स्थानीय स्तर पर दानपेटियों की सूची रखें एवं सभी परिवारों में दानपेटियां लगें, ऐसा लक्ष्य रखें। सभी परीवार इदं न मम् से जुड़ें।
4. नियमित रूप से समीक्षा बैठक, अधिवेशन इत्यादि में उपस्थित रहें एवं संघीय विकास की परिचर्चा में सक्रिय सहभागिता करें।

त्रैमासिक/चारमाह दायित्व :-

अपने संघ का चार माह का प्रतिवेदन यथासमय केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित करना।

अन्य दायित्व :-

1. वीर परिवार, मुमुक्षुओं की सेवा सुश्रुषा सार संभाल करना।
2. अपने नगर के साधुमार्गी घरों की जानकारी रखना एवं चारित्रात्माओं की गोचरी / पानी आदि की व्यवस्था देखना।
3. विहार सेवा हेतु प्रत्येक परिवार के सदस्यों की विहार सेवा बारी बारी से बनाना और विहार में सेवा देने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. जो श्रावक - श्राविका ज्ञान ध्यान में अग्रवर्ती हैं उन्हें सही मंच उपलब्ध कराने हेतु उनका केन्द्रीय संघ से संपर्क करवाना।

त्रैमासिक / मासिक

समय-समय पर अपने क्षेत्र में निम्न कार्यों की समीक्षा करना एवं उनके संचालन को गति प्रदान करना।

1. संघ की श्रमणोपासक, साहित्य, साधारण, आजीवन सदस्यता
2. दानपेटी
3. धार्मिक परीक्षाएं, श्रुत आराधक, जैन संस्कार पाठ्यक्रम
4. उत्क्रान्ति
5. मुमुक्षु भाई बहन
6. पाठशाला, विद्यार्थी, पुरस्कार, निरीक्षण
7. संस्कार शिविर
8. राष्ट्रीय पर्व पर संवर, पौषद, दया, तेला
9. इदं न मम् परिवार

केन्द्रीय कार्यालय से/सहाय तंत्र (Support System)

1. अंचल के डेटाबेस उपलब्ध कराना।
2. समय-समय पर प्रत्येक प्रवृत्ति की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. केंद्रीय कार्यालय से अन्य सहयोग

विशेष :-

1. ऐसे प्रतिभाशाली निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो आगामी वर्षों में दायित्व-निर्वहन सक्षम रूप से कर सकें; उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करें।
2. इन चयनित कार्यकर्ताओं को, जो भविष्य में उच्च पदों को ग्रहण करने का सामर्थ्य ;च्वजमदजपंसद्ध रखते हों, गुणात्मक विकास का अवसर प्रदान करें।
3. उनके गुणों व कौशल्य की जानकारी केंद्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

आगामी द्विवर्षीय (2017-19)

श्री अ.भा.सा.जैन समता युवा संघ विकास योजना

1. उत्क्रान्ति - प्रत्येक परिवार को उत्क्रान्ति परिवार बनाने का लक्ष्य - (2020)।
2. व्यसन मुक्ति आंदोलन - व्यसन मुक्ति निवारण केन्द्र।
3. समता शाखा- प्रत्येक संघ में सुव्यवस्थित संचालन।
4. नियोजित कार्यक्रम के साथ-साथ राष्ट्रीय पर्वों को भी हर्षोल्लास के साथ मनाना।
5. प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक सदस्य का श्रुत आराधक पाठ्यक्रम में प्रवेश हो।
6. बच्चों को पाठशाला जाने के लिए प्रेरित करना।
7. प्रत्येक युवाओं को इदं न मम् से जोड़ना।
8. अनन्य महोत्सव 2020 के विभिन्न आयामों /कार्यक्रमों में युवाओं को जोड़ना।

श्री अ.भा.सा.जैन महिला समिति विकास योजना

1. प्रत्येक शाखा से कम से कम 5 महिलाएं पाठशाला शिक्षक बनने के लिए उद्यत हों। पूरे देशभर में 1500 Mentor तैयार करना।
2. प्रत्येक महिला ''संस्कार पाठ्यक्रम'' से जुड़े
3. प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक महिला '' श्रुत आराधक पाठ्यक्रम'' से जुड़े।
4. वर्षभर में परीक्षाएं - (कुल 5 परीक्षाएं)
   i) मई-जून - श्रुत आराधक पाठ्यक्रम
   ii) 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) संस्कार पाठ्यक्रम
   iii) चातुर्मास समाप्ति पर - लेवल-1
   iv) दिसम्बर-जनवरी - लेवल-2
   v) मार्च - कल्प मर्यादा परीक्षा
6. अंजलि एवं अनन्य महोत्सव 2020 के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम हेतु श्रमणोपासक में उल्लिखित रीति से कार्यवाही करना।
7. स्वधर्मी योजना / छात्रवृत्ति योजना को क्रियान्वित करना।

आगामी द्विवर्षीय (2017-19)

विकास योजना

1. गुणात्मक सुधार व वृद्धि : अतएव प्रशिक्षण व उन्नयन पर फोकस (पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रवृत्ति संयोजक, स्टॉफ, इत्यादि)
2. सभी स्तर पर भूमिका स्पष्टता (Role Clarity) अत्यावश्यक
3. संघ को विस्तृत व व्यापक बनाना :
   a. समस्त साधुमार्गी परिवारों को संघ से जोड़ना, सदस्य के रूप में
   b. शत प्रतिशत परिवारों में 'श्रमणोपासक' का प्रेषण
   c. समस्त घरों में दानपेटी की स्थापना
   d. नवीन शाखाओं / स्थानीय संघों की स्थापना
4. विदेशों में निवासरत साधुमार्गी परिवारों से संपर्क व घनिष्ठता
5. 'Know & Grow' हेतु देशव्यापी (श्रेष्ठ पाठशाला, श्रेष्ठ-शिक्षक, श्रेष्ठ छात्रा) अभियान
6. सहयोगी व अंतर्गत संस्थाओं का सशक्तिकरण- संघ के विभिन्न प्रवृत्तियों के सम्पादन में सहयोग।
7. सभी संघ प्रवृत्तियों का सक्रिय, फलोत्पदक, परिणामोन्मुख रीति से संचालन
8. संघ कार्य व कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का अधिकाधिक प्रयोग व अधिष्ठापन;
9. उत्क्रांति की धर्मदेशना प्रत्येक साधुमार्गी घर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना; अधिकाधिक व्यक्तियों व परिवारों को उत्क्रांति संकल्प ग्रहण करने हेतु उत्प्रेरित करना।
10. प्रतिभा खोज कार्यक्रम का समाधानयुक्त समापन; जो डाटा संचालित किया गया है उस के आधार पर संघ के विकास व संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण की रणनीति तय करना
11. आचार्य श्री नानेश शताब्दी महोत्सव की पूर्व तैयारी में बोधगम्य प्रगति; समस्त साधुमार्गी समाज की इसमें सहभागिता हेतु उत्प्रेरणा
12. समता भवन निर्माण का लक्ष्य-गांव / नगर को प्राथमिकता
13. विहाररत चारित्रात्माओं व मुमुक्षुओं की सेवा सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित व प्रतिबद्ध सेवाकर्ताओं की टीम तैयार करना।
14. समता शाखा में साधुमार्गी परिवार के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता
15. संघ की अचल संपत्तियों (जैसे समता भवन, कार्यालय इत्यादि) के दस्तावेजों का एकत्रीकरण व यथावश्यक नियमितिकरण, पंजीकरण व अन्य असंपूर्ण कार्य निष्पन्न करना।
16. स्थानीय संघों हेतु आचार संहिता की रचना
17. स्वधर्मी योजना (छात्रवृत्ति, व्यवसाय ऋण योजना)